कार्यालय नगर पालिका परिषद मंडीदीप, जिला–रायसेन (म0प्र0)

Phone/Fax No-07480407022, Email:- cmomandideep@mpurban.gov.in

क्र0/ 169 /न.पा.प./2012 मंडीदीप, दिनांक 11/10/2012

भवन निर्माण अनुमति-पत्र

प्रति,

श्री/श्रीमती श्री प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कम्पनी
शीतल टाउन मण्डीदीप
भूखण्ड क्र – 50 से 53, 55 से 85, 88 से 118, 271, 308 से 341 = (101)

उपरोक्त प्रकरण क्र0 .... में आवेदन पत्र दिनाँक .... प्रस्तुत होकर आदेश दिनाँक 10/10/12 के अंतर्गत आपको निम्नलिखित शर्तो, प्रतिबंध के साथ मानचित्र अनुसार भवन निर्माण की स्वीकृति की जाती है ।

1. भवन का कुर्सी भू–धरातल से 1.5 फिट ऊंची रखी जावें ।
2. पखाना फ्लेस सिस्टम व स्वंय की भूमि में सेप्टिक टेंक बनाकर निर्माण किया जावें ।
3. भवन निर्माण संबंधी कोई मटेरियल बिना स्वीकृति, नगरपालिका की भूमि या सार्वजनिक स्थल पर न डालें ।
4. भवन निर्माण में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 184 लगायत 193 एवं भूमि विकास नियम 1984 का पूर्णतः पालन किया जावे । अनुमति के विपरीत किया गया कार्य निर्माण अवैध माना जावेगा ।
5. शासकीय अथवा सार्वजनिक भूमि पर गटर नाली सेप्टिक टेंक आदि का निर्माण न करें ।
6. ले – आउट नगरपालिका के सक्षम अधिकारी से लेना होगा । कुर्सी तल तक के निर्माण की सूचना नगरपालिका को देना होगी तथा कार्य मुताबिक मानचित्र हुआ है, निरीक्षण उपरांत ही आवासीय उपयोग में लिया जावेंगा ।
7. गंदे पानी के निस्तार के लिये पक्की नालियां बनवाई जावे तथा मोरियों में डाउन पाईप लगाया जावें ।
8. भूमि संबंधी आपसी वाद–विवाद अथवा आपत्ति होने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेंगी।
9. यह भवन अनुमति केवल तीन वर्ष के लिये वैध है इसके पश्चात निर्माण की अनुमति पुनः समयावधि में रिन्यूवल कराया जाना आवश्यक है ।
10. खुली भूमि में 10 वृक्ष अवश्य लगावें ।
11. वर्षा जल संग्रहण हेतु निजी भूमि में निर्धारित आकृति का जल संग्रहण गड्डा अनिवार्य रूप से निर्माण कराना होगा ।
12. म0प्र0 विद्युत मण्डल के नियमानुसार विद्युत लाईन से दूरी बनाकर निर्माण कार्य करें ।
13. निर्माण कार्य किसी इंजीनियर के पर्यवेक्षण में पूर्ण करावें ।
14. निर्माण कार्य में भूकम्प विरोधी तकनीक का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जावें ।
15. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।
16. शर्त क्र. 11 का पालन प्रतिवेदन कर नगरपालिका को तत्काल सूचित करें ।
17. भवन निर्माण हेतु जारी अनुमति किसी भी प्रकार का स्वामित्व संबंधी अधिकार प्रदान नही करती है ।

11.10.12

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, मंडीदीप
जिला–रायसेन (म0प्र0)

Scanned with CamScanner

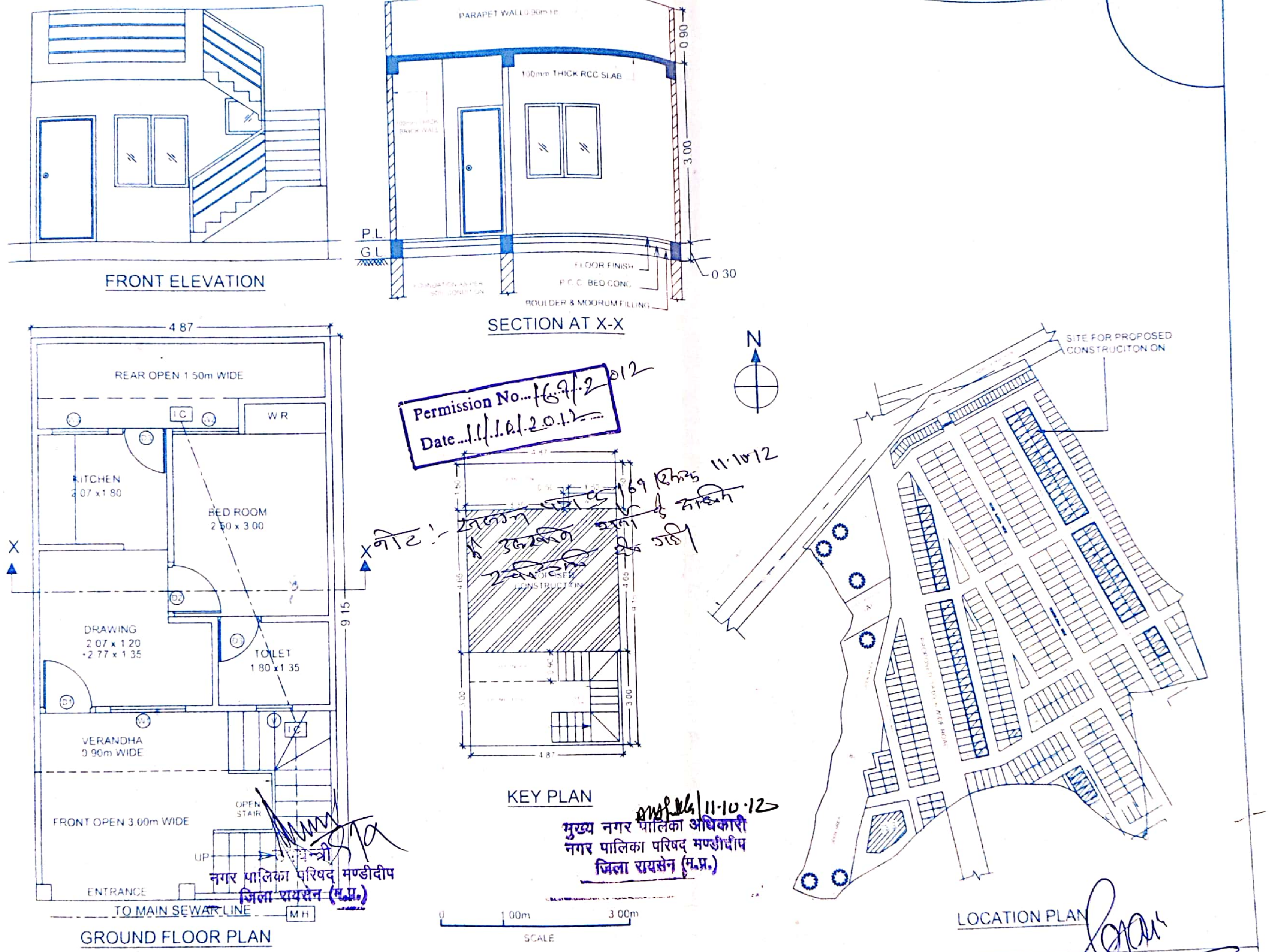

PLAN OF PROPOSED CONSTRUCTION OF HOUSE ON PLOT NO 50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,271,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341, (TOTAL NO PLOT 101) AT SHEETAL TOWN VILLAGE MANDIDEEP PATWARI HALKA NO.03, REVENUE INSPECTOR BOARD NO 1,TEHSIL GOHARGANJ ,DISTRICT RAISEN KH NO 437/1/1/1/2 437/1/1/1/3,437/4,438/1,438/2,438/3,438/4

BELONGING TO : SHRI PRABHAKAR CONSTRUCTION COMPANY

SCHEDULE FOR OPENINGS

1	D1	1.05 m x 2.10m	DOOR
2	D2	0.90m x 2.10m	
3	D3	0.75m x 2.10m	
4	W1	1.50m x 1.80m	WINDOW
5	W2	1.50m x 1.20m	
6	W3	0.90 m x 1.50m	
7	V	0.60m x 0.90m	VENTILATOR

DRAWING DETAIL

DRAWING NO	CD/31 05/12/09
DATE	24.05.2012
CHECKED BY	SANJAY JAIN
DRAWN BY	PRAVEEN MALVI

PLOT SIZE	4.87m x 9.15m
PLOT AREA	44.56 Sq.mt
PROPOSED CONSTRUCTION ON GROUND FLOOR	22.65 Sq.mt

OWNER

SHRI PRABHAKAR CONSTRUCTION COMPANY

NORTH

N

CONSULTANT

Sanjay Jain
AMIE, M. Tech.
M.C. Bhopal Lic. No.-SE-40
T&CP Lic. No.-SE-122

VARDHMAN ASSOCIATES
CONSULTANT ENGINEERS, ARCHITECTS, PLANNERS & STRUCTURE DESIGNERS
R-34, ZONE-I, M.P. NAGAR, BHOPAL
(M) Ph. No. 0755-2765400

कार्यालय नगर पालिका परिषद मंडीदीप, जिला-रायसेन (म0प्र0)
Phone/Fax No-07480407022, Email:- cmomandideep@mpurban.gov.in

क्र0/ 165 /न.पा.प./2012 मंडीदीप, दिनांक 11/10/2012

भवन निर्माण अनुमति-पत्र

प्रति,

श्री/श्रीमती श्री प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कम्पनी
शीतल टाउन मण्डीदीप
भूखण्ड क्र- 50 से 53, 55 से 85, 88 से 118, 271, 308 से 341 = 101

उपरोक्त प्रकरण क्र0 .... में आवेदन पत्र दिनॉक .... प्रस्तुत होकर आदेश दिनॉक 10/10/12 के अंर्तगत आपको निम्नलिखित शर्तो, प्रतिबंध के साथ, मानचित्र अनुसार भवन निर्माण की स्वीकृति की जाती है ।

1. भवन का कुर्सी भू-धरातल से 1.5 फिट ऊंची रखी जावें ।
2. पखाना फ्लेस सिस्टम व स्वंय की भूमि में सेप्टिक टेंक बनाकर निर्माण किया जावें ।
3. भवन निर्माण संबंधी कोई मटेरियल बिना स्वीकृति, नगरपालिका की भूमि या सार्वजनिक स्थल पर न डालें ।
4. भवन निर्माण में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 184 लगायत 193 एवं भूमि विकास नियम 1984 का पूर्णतः पालन किया जावे । अनुमति के विपरीत किया गया कार्य निर्माण अवैध माना जावेगा ।
5. शासकीय अथवा सार्वजनिक भूमि पर गटर नाली सेप्टिक टेंक आदि का निर्माण न करें ।
6. ले - आउट नगरपालिका के सक्षम अधिकारी से लेना होगा । कुर्सी तल तक के निर्माण की सूचना नगरपालिका को देना होगी तथा कार्य मुताबिक मानचित्र हुआ है, निरीक्षण उपरांत ही आवासीय उपयोग में लिया जावेंगा ।
7. गंदे पानी के निस्तार के लिये पक्की नालियां बनवाई जावे तथा मोरियों में डाउन पाईप लगाया जावें ।
8. भूमि संबंधी आपसी वाद-विवाद अथवा आपत्ति होने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेंगी।
9. यह भवन अनुमति केवल तीन वर्ष के लिये वैध है इसके पश्चात निर्माण की अनुमति पुनः समयावधि में रिन्यूवल कराया जाना आवश्यक है ।
10. खुली भूमि में 10 वृक्ष अवश्य लगावें ।
11. वर्षा जल संग्रहण हेतु निजी भूमि में निर्धारित आकृति का जल संग्रहण गड्डा अनिवार्य रूप से निर्माण कराना होगा ।
12. म0प्र0 विद्युत मण्डल के नियमानुसार विद्युत लाईन से दूरी बनाकर निर्माण कार्य करें ।
13. निर्माण कार्य किसी इंजीनियर के पर्यवेक्षण में पूर्ण करावें ।
14. निर्माण कार्य में भूकम्प विरोधी तकनीक का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जावें ।
15. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।
16. शर्त क्र. 11 का पालन प्रतिवेदन कर नगरपालिका को तत्काल सूचित करें ।
17. भवन निर्माण हेतु जारी अनुमति किसी भी प्रकार का स्वामित्व संबंधी अधिकार प्रदान नही करती है ।

11.10.12
मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, मंडीदीप
जिला-रायसेन (म0प्र0)

Scanned with CamScanner

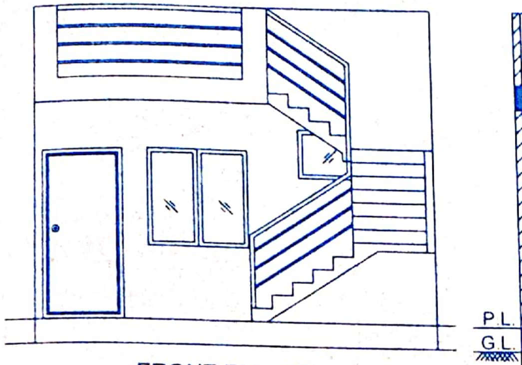

FRONT ELEVATION

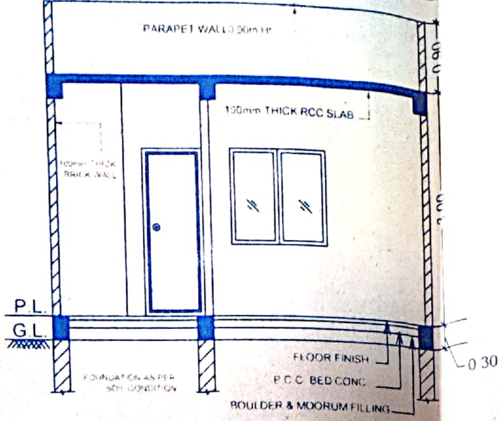

SECTION AT X-X

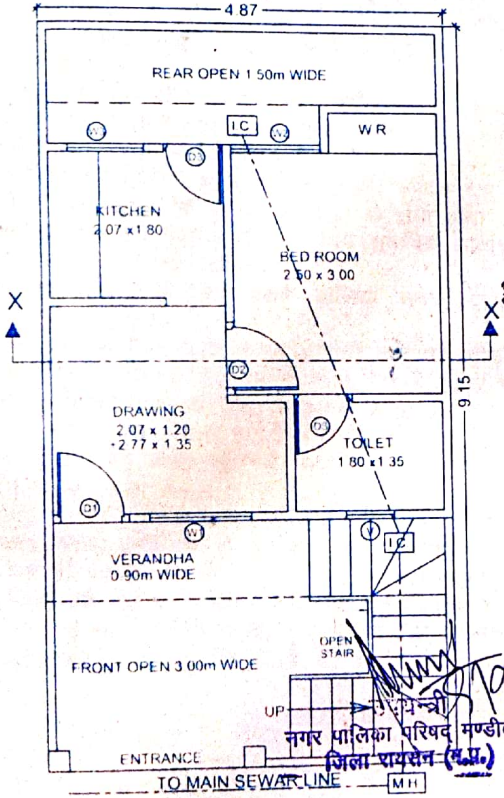

GROUND FLOOR PLAN

Permission No....1691/2 012
Date....11/10/2012

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद मण्डीदीप
जिला रायसेन (म.प्र.)

नगर पालिका परिषद मण्डीदीप
जिला रायसेन (म.प्र.)

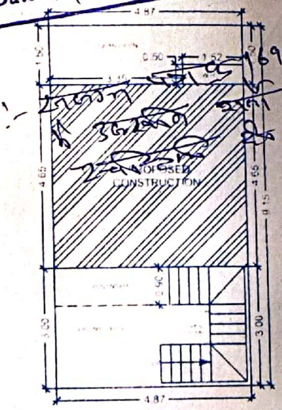

KEY PLAN

SCALE: 0 — 1.00m — 3.00m

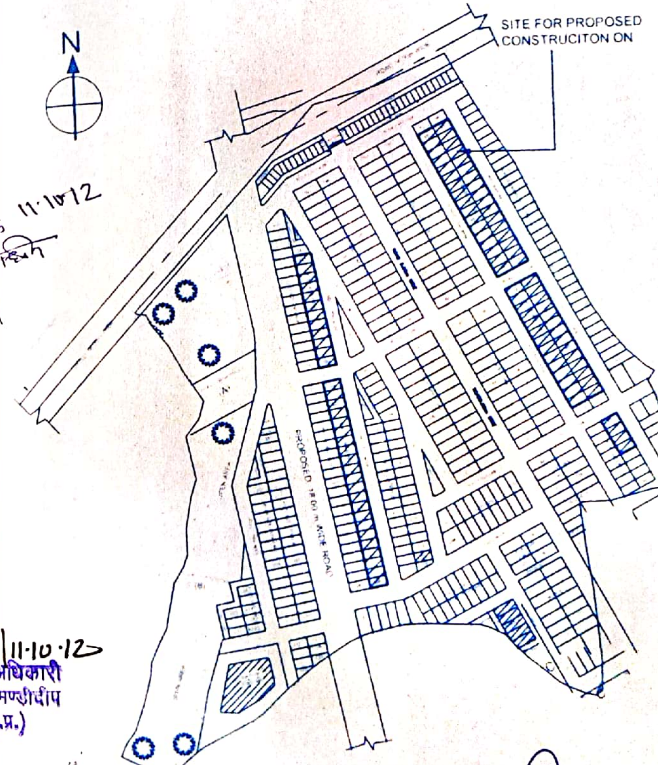

LOCATION PLAN

PLAN OF PROPOSED CONSTRUCTION OF HOUSE ON PLOT NO 50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,96, 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112, 113,114,115,116,117,118,271,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317 318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334, 335,336,337,338,339,340,341. (TOTAL NO PLOT 101) AT SHEETAL TOWN VILLAGE MANDIDEEP PATWARI HALKA NO.03, REVENUE INSPECTOR BOARD NO. 1,TEHSIL GOHARGANJ ,DISTRICT RAISEN KH NO. 437/1/1/1/2 ,437/1/1/1/3,437/4,438/1,438/2,438/3,438/4

BELONGING TO : SHRI PRABHAKAR CONSTRUCTION COMPANY

SCHEDULE FOR OPENINGS

1	D1	1.05m x 2.10m	DOOR
2	D2	0.90m x 2.10m	
3	D3	0.75m x 2.10m	
4	W1	1.50m x 1.80m	WINDOW
5	W2	1.50m x 1.20m	
6	W3	0.90m x 1.50m	
7	V	0.60m x 0.90m	VENTILATOR

DRAWING DETAIL

DRAWING NO. CONST 05/12
DATE 24/05/2012
CHECKED BY SANJAY JAIN
DRAWN BY PRAVEEN MA

PLOT SIZE	4.87m x 9.15m
PLOT AREA	44.56 Sq.mt
PROPOSED CONSTRUCTION ON GROUND FLOOR	22.65 Sq.mt
OWNER	

SHRI PRABHAKAR CONSTRUCTION COMPANY

NORTH

N

CONSULTANT

Sanjay Jain
AMIE, M. Tech.
M.C. Bhopal Lic. No.-SE-40
TNCP Lic. No.-SE-122

VARDHMAN ASSOCIATES
CONSULTANT ENGINEERS, ARCHITECTS, PLANNERS & STRUCTURE DESIGNERS
R-34, ZONE-I, M.P. NAGAR, BHOPAL

लय नगर पालिका परिषद, मंडीदीप जिला रायसेन म0प्र0

Fax No. 07480-407022, Help Line No. 07480-231030, Email : cmomandideep@mpurvan.gov.in

क्र./3709/लोक.नि.शा.वि/न.पा.प./2014

मंडीदीप दिनांक 27/3/2015

मे० प्रभाकर के एजुकेशनल कम्पनी द्वारा पार्टनर

श्री/श्रीमती श्री अनिल कुमार जैन s/o स्व० श्री बाबूलाल जी जैन

ख.नं. 263, 264, 265, 267, 266, 432, 433, 431,
183, 184, 185, 186, 187, 188, 192, 193, 287 से 306 एवं 286,
269 कुल 32 (नम्बर) 2.01 (हे.) की 2137 वर्गमीटर पर....

विषय:- भवन निर्माण स्वीकृति के संबंध में ।

संदर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक ———— के संबंध में ।

—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत में आपको सूचित किया जाता है कि मानचित्र में दर्शाये अनुसार की एक प्रति संलग्न है। निर्माण कार्य स्वयं की भूमि में करने एवं प्रत्येक ओर से पानी आदि का बहाव अपनी में बहने व गिरने एवं निम्नलिखित शर्तो के अधीन भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा साथ चेतावनी दी जाती है कि शासकीय/नजूल/पी.डब्ल्यू.डी./परिषद की एवं किसी की निजी भूमि पर किसी प्रकार अतिक्रमण न करें तथा बिना पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त किये मलबा सड़क पर न रखें/डाला जावे एवं /सेप्टिक टेंक को उपयोग में लाने के पूर्व नगर पालिका कार्यालय को सूचित कर अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में न.पा. अ. 1961 की धारा 233 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

शर्ते:-

1. उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत भवन/भूस्वामी तथा वास्तुविद् द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजो के आधार पर दी गई है । इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेंगा । उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजो की वैधानिकता की समस्त जबाबदारी आवेदक की स्वंय की होगी । विभाग इसके लिये जिम्मेदार नही होगा । स्वीकृति दिनॉक 03 वर्ष तक वैध होगी, यदि आवश्यकता हो, तो नवीनीकरण हेतु आवेदन–पत्र स्वीकृति समाप्त होने के पूर्व कराना होगा ।
2. इस स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपी मय इस दाखले के निर्माण स्थल पर रखना अनिवार्य होगा ।
3. भवन निर्माण का कार्य निगम से प्राप्त लाईसेंसी सुपरवाईजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा । अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेंगा कि उक्त कार्य सुपरवाईजर इंजीनियर अथवा वास्तुविद् की देखरेख में नही हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त अवैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा । म.प्र.भू.वि.नि. 2012 के नियमो का पालन करने की जबाबदारी लायसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की रहेंगी ।
4. स्वीकृत मानचित्र में दर्शाये पार्किंग स्थल हेतु जो अनुबंध पत्र आपके द्वारा निकाय के पक्ष में लिखा गया उस अनुसार पार्किंग स्थल का निर्माण कर उसे निर्माण निकाय को हस्तांतरित करना होगा, जो कि अंततः पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्ति के पश्चात् भवन के रहवासियों को निकाय सौंपेगा । इस संबंध में भवन निर्माता मौके पर पार्किंग स्थल का सूचना पट्ट तथा वाहन के सुलभ आवागमन हेतु भी सूचना पट्ट स्वंय के व्यय से लगाएगा ।

Scanned with CamScanner

ीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का
कर केवल तरल जल मल ही निगम की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ड्रेनेज लाईन से जोंड़े तथा नगर
विधान की धारा 159 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी
हेतु नगर पालिका के निर्देशन में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू.)डाय मीटर का आर.सी.सी. पाईप
जायें। बहुआवासीय भवनों के कचरे हेतु तल मंजिल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी
पर डाले, वह सुनिश्चित भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग
भूमि विकास नियम क्र. 73 के अनुरूप ही होगा।

~~विकास नियम क्र. 24 अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के संशोधन आंतरिक~~
~~र्तन/परिवर्धन करने पर उसे पुनः निकास से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी तथा स्वीकृति की~~
~~नियम 23 के अधीन होगी।~~

(एक सौ चालीस) वर्ग मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य स्वंय के व्यय से
मको कराना होगा। यह कार्य भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण कराना होगा तथा नगर निगम की
टर हार्वेस्टिंग शाखा से सत्यापन कराते हुये इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में
स्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावेंगा।

जिस्ट्रीकृत विक्रेता से ही विनिर्दिष्ट वनोपज क्रय करेंगे, क्रय एवं उपयोग संबंधी सूचना सभी प्रमाण पत्रो के
ाथ अनिवार्यतः वनमंडलाधिकारी, भोपाल को देंगे। ....

उक्त शर्तो का उल्लंघन होने पर स्वीकृति स्वतः शून्य मानी जावेंगी। ....

भवन निर्माण के दौरान् स्ट्रक्चर के चारो तरफ कर्टेन/ओट लगाकर निर्माण किया जावें।

कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नही रखी जावें।

निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण न फैलावें।

यातायात में बाधा उत्पन्न होने अथवा सामग्री/धूल आदि के कारण प्रदूषण संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर निर्माण सामग्री जप्त करते हुए म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जावेंगी।

4. स्वीकृति प्लान अनुसार कार्य करें।

15. मानचित्र में किसी भी प्रकार की तब्दीली बिना पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये न किया जाये।

16. राजस्व/पी.डब्ल्यू.डी/शासकीय/परिषद एवं निजी भूमि/रास्ता तथा नाली पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न किया जावें।

17. कोई भी दरवाजा या खिड़की इस प्रकार निर्मित न किया जावें ताकि पड़ोस में बेपरदगी हो।

18. गली/सड़क की चौड़ाई —०— फिट निश्चित की गई है। पूर्व से है। अतः एवं सड़क/गली के मध्य से —०— फिट खुली भूमि को छोड़कर भू-खण्ड की स्वीकृति दी जाती है।

19. प्रस्तावित निर्माण कार्य निम्नानुसार सेट बैक देकर किया जावें।

अ- सामने As per फिट

ब- पीछे TRCP फिट

स- दाई तरफ ________फिट

द- बाई तरफ ________फिट

20. सड़क/गली पर किसी प्रकार का छज्जा एवं बालकनी न निकाली जावें।

21. सेप्टिक निर्माण करना अनिवार्य होगा।

22. निर्माण पूर्ण होने पर तत्काल कार्यालय को सूचित किया जाना होगा।

Scanned with CamScanner

मीटर ऊंचाई तक भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाती है।
शर्तो एवं सहमति पत्र के आधार पर आपको भवन निर्मा कार्य को पूर्ण करने की स्वीकृति एवं 03 समयावधि प्रदान की जाती है।
भूमि विकास नियम 2012 का पालन करना अनिवार्य होगा।
भागीय अधिकारी राजस्व/नजूल कार्यालय से भू–खण्ड का सीमांकन करवाने जाने के उपरांत ही ग कार्य प्रारंभ किया जाना होगा।
भी तरह के वाद–विवाद की स्थिति में एवं शर्तो का उल्लंघन करने तथा प्लान के अनुसार निर्माण नही करने की स्थिति में जारी की गई भवन अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
म्प रोधी प्रावधान करना होगा तथा निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सक्षम अधिकारी/व्यक्तियों/संस्था द्वारा बनाई गई स्ट्रक्चर डिजाईन प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा की स्थिति में जारी भवन अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
न वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
डिप्लोमाधारी/सिविल इंजीनियर पंजी आर्केटेक्ट की देखरेख में निर्माण कार्य कराया जाना होगा।
निर्माण कार्य करने से पूर्व नजूल, पी.डब्ल्यू.डी. नगर तथा ग्राम निवेश, सी.पी.डब्ल्यू.डी. मंडीदीप/गौहरगंज से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।
. निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत सिविल इंजीनियर/डिप्लोमाधारी/डिग्रीधारी पंजी आर्केटेक्ट का प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा कि भवन(बिल्डिंग) शर्त कण्डिका–17, एवं 18 के अनुसार बनी है।
3. नगर पालिका परिषद मंडीदीप कार्यालय में भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व नामान्तरण करना एवं समस्त कर जमा करना अनिवार्य होगा।
34. जारी भवन निर्माण स्वीकृति को भू–स्वामित्व संबंधी अभिलेख न समझा जावें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद मंडीदीप
जिला–रायसेन म0प्र0
मंडीदीप दिनांक ————

क्र0/ /लोक.नि.शा.वि../2014
प्रतिलिपिः–

1. राजस्व निरीक्षक नगरपालिका परिषद मंडीदीप की ओर लेख किया जाता है कि राजस्व अभिलेखों में नियामानुसार नाम दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद मंडीदीप
जिला – रायसेन म0प्र0

Scanned with CamScanner

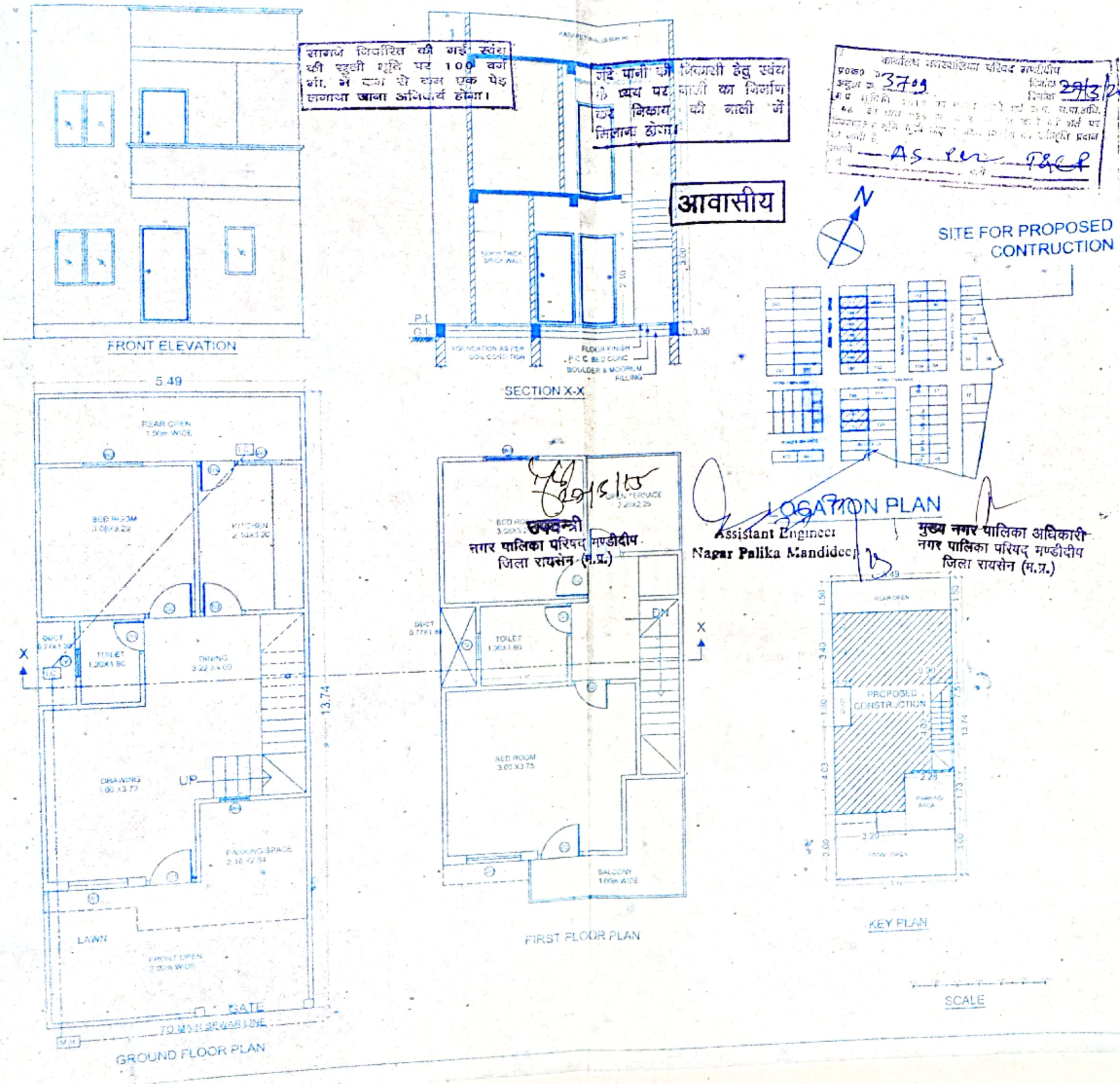

PLAN OF PROPOSED CONSTRUCTION OF HOUSE ON PLOT NO. 183,184,185,186,187,188,192,193 (No. OF PLOT 8) AT SHEETAL TOWN VILLAGE MANDIDEEP, PATWARI HALKA NO.03, REVENUE INSPECTOR BOARD NO. 1,TEHSIL GOHARGANJ , DISTRICT RAISEN, KH.NO. 437/1/1/1/2, 437/1/1/1/3,437/4, 438/1,438/2,438/3,438/4

BELONGING TO :
SHRI PRABHAKAR CONSTRUCTION COMPANY

STATEMENT OF AREA FOR ONE PLOT

PLOT SIZE (18'0"X45'0")	: 5.48m x 13.72m
PLOT AREA	: 75.18 Sqmt
PROPOSED CONST. ON:-	
GROUND FLOOR	: 45.10 Sqmt
FIRST FLOOR	: 38.00 Sqmt
TOTAL	: 83.10 Sqmt

SCHEDULE FOR OPENINGS :

1.	D1	: 1.00 m x 2.10m	DOOR
2.	D2	: 0.90m x 2.10m	---"---
3.	D3	: 0.75m x 2.10m	---"---
4.	W1	: 1.50m x 1.80m	WINDOW
5.	W2	: 1.50m x1.20m	---"---
6.	W3	: 0.90 m x 1.50m	---"---
7.	V	: 0.60m x 0.90m	VENTILATOR

DRAWING DETAIL :
PLANS & ELEVATION : 1 : 100
KEY PLAN : 1 : 200
LOCATION PLAN : N.T.S
DRAWING NO : CD/GT-09/13-03
DATE : 08/08/2013
CHECKED BY : SANJAY JAIN
DRAWN BY : NITIN VERMA

ALL DIMENSION ARE IN METERS

OWNER
SHRI PRABHAKAR CONSTRUCTION COMPANY

NORTH

CONSULTANT:
ARPIT JAIN
B.E. (CIVIL)
M.C. BHOPAL Lic. No.-E-62

VARDHMAN ASSOCIATES
CONSULTANT ENGINEERS, ARCHITECTS, PLANNERS & STRUCTURE DESIGNERS
R-34, ZONE-I, M.P. NAGAR, BHOPAL (M.P.)
PH. NO.0755 2766540

4+3

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर पालिका परिषद मंडीदीप, जिला-रायसेन (म0प्र0)
Phone/Fax No-07480407022, Email:- cmomandideep@mpurban.gov.in

क्र0/184 /न.पा.प./2012

मंडीदीप, दिनांक 11/10/2012

भवन निर्माण अनुमति-पत्र

प्रति,

श्री/श्रीमती श्री प्रभाकर कंस्ट्रक्शन
कम्पनी शीतल टाउन मंडीदीप
व्यावसायिक सह आवासीय परिसर
ब्लाक – 02

उपरोक्त प्रकरण क्र0 .... में आवेदन पत्र दिनाँक .... प्रस्तुत होकर आदेश दिनाँक 11/10/2012 के अंतर्गत आपको निम्नलिखित शर्तों, प्रतिबंध के साथ मानचित्र अनुसार भवन निर्माण की स्वीकृति की जाती है ।

1. भवन का कुर्सी भू-धरातल से 1.5 फिट ऊंची रखी जावें ।
2. पखाना फ्लेस सिस्टम व स्वंय की भूमि में सेप्टिक टेंक बनाकर निर्माण किया जावें ।
3. भवन निर्माण संबंधी कोई मटेरियल बिना स्वीकृति, नगरपालिका की भूमि या सार्वजनिक स्थल पर न डालें ।
4. भवन निर्माण में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 184 लगायत 193 एवं भूमि विकास नियम 1984 का पूर्णतः पालन किया जावे । अनुमति के विपरीत किया गया कार्य निर्माण अवैध माना जावेगा ।
5. शासकीय अथवा सार्वजनिक भूमि पर गटर नाली सेप्टिक टेंक आदि का निर्माण न करें ।
6. ले – आउट नगरपालिका के सक्षम अधिकारी से लेना होगा । कुर्सी तल तक के निर्माण की सूचना नगरपालिका को देना होगी तथा कार्य मुताबिक मानचित्र हुआ है, निरीक्षण उपरांत ही आवासीय उपयोग में लिया जावेगा ।
7. गंदे पानी के निस्तार के लिये पक्की नालियां बनवाई जावे तथा मोरियों में डाउन पाईप लगाया जावें ।
8. भूमि संबंधी आपसी वाद-विवाद अथवा आपत्ति होने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेंगी।
9. यह भवन अनुमति केवल तीन वर्ष के लिये वैध है इसके पश्चात निर्माण की अनुमति की समयावधि में रिन्यूवल कराया जाना आवश्यक है ।
10. खुली भूमि में 10 वृक्ष अवश्य लगावें ।
11. वर्षा जल संग्रहण हेतु निजी भूमि में निर्धारित आकृति का जल संग्रहण गड्डा अनिवार्य रूप से निर्माण कराना होगा ।
12. म0प्र0 विद्युत मण्डल के नियमानुसार विद्युत लाईन से दूरी बनाकर निर्माण कार्य करें ।
13. निर्माण कार्य किसी इंजीनियर के पर्यवेक्षण में पूर्ण करावें ।
14. निर्माण कार्य में भूकम्प विरोधी तकनीक का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जावें ।
15. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।
16. शर्त क्र. 11 का पालन प्रतिवेदन कर नगरपालिका को तत्काल सूचित करें ।
17. भवन निर्माण हेतु जारी अनुमति किसी भी प्रकार का स्वामित्व संबंधी अधिकार प्रदान नही करती है ।

ब्लाक क्र. 2
भूतल दुकान क्र. 13 से 21 तक
प्रथम तल फ्लेट क्र. 9 से 14 तक
द्वितीय तल फ्लेट क्र. 9 से 14 तक
तृतीय तल फ्लेट क्र. 9 से 14 तक

[signature] 11.10.12
मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, मंडीदीप
जिला-रायसेन (म0प्र0)

E:\nagar palika file 09-10\CMO\letter.doc

Scanned with CamScanner

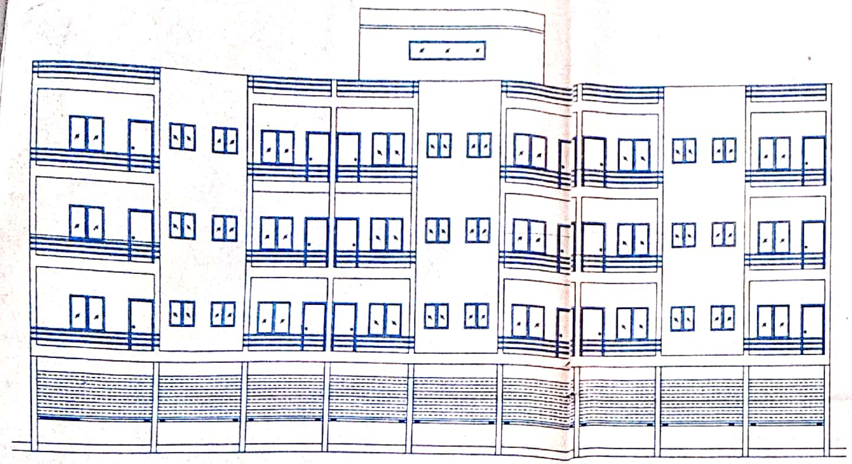

FRONT ELEVATION

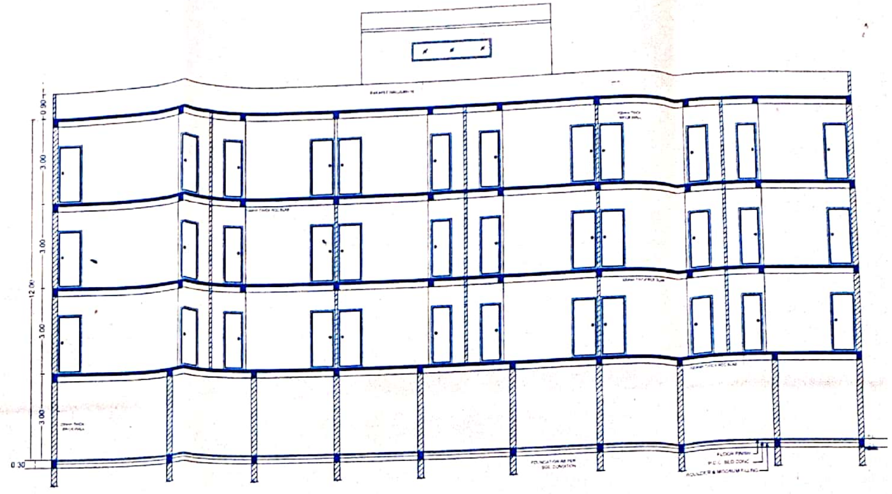

SECTION AT X-X

(2)

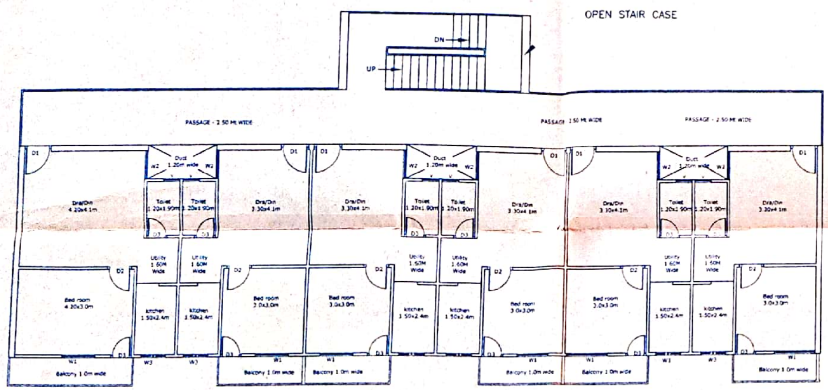

FIRST FLOOR PLAN

FOR FLAT NO. FF-9 TO FF-14

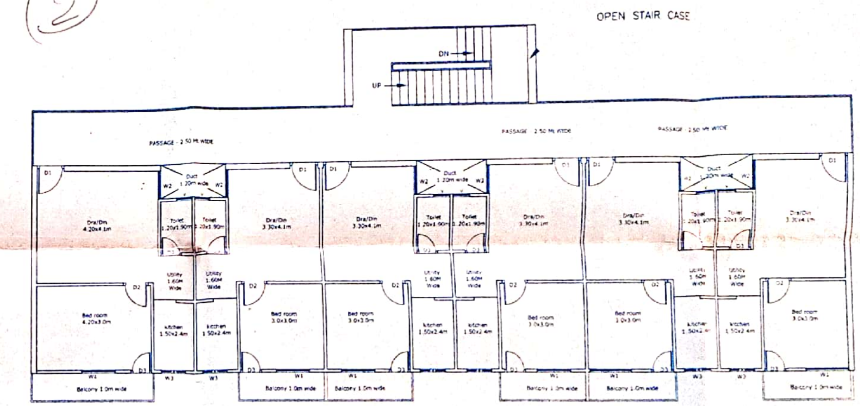

SECOND FLOOR PLAN

FOR FLAT NO. SF-9 TO SF-14

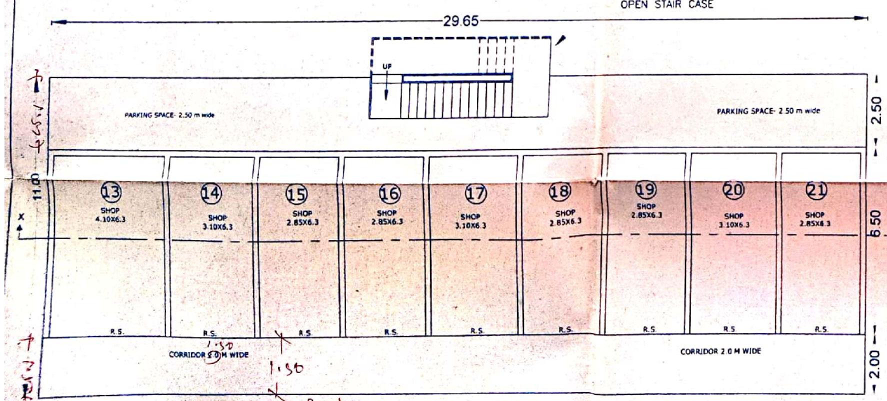

GROUND FLOOR PLAN

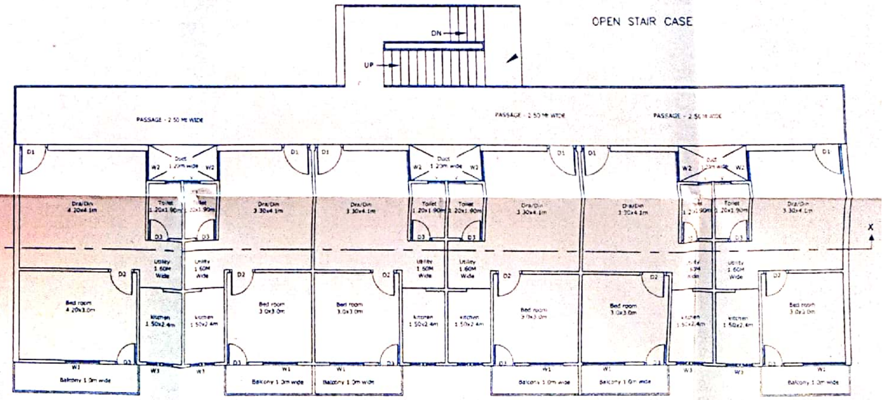

THIRD FLOOR PLAN

FOR FLAT NO. TF-9 TO TF-14

Scanned with CamScanner

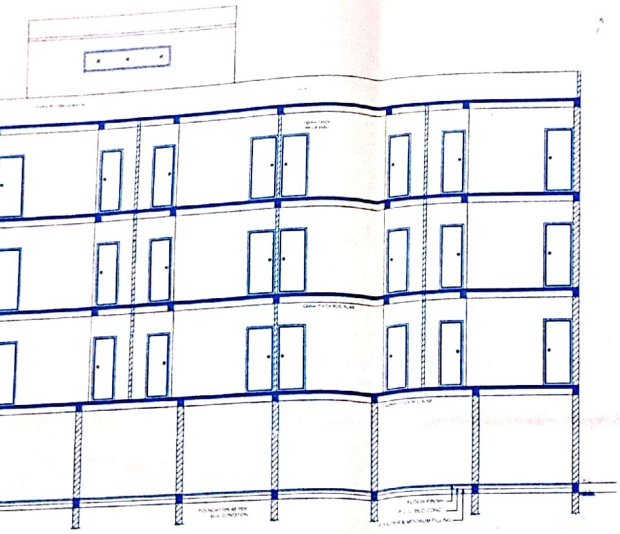

ECTION AT X-X

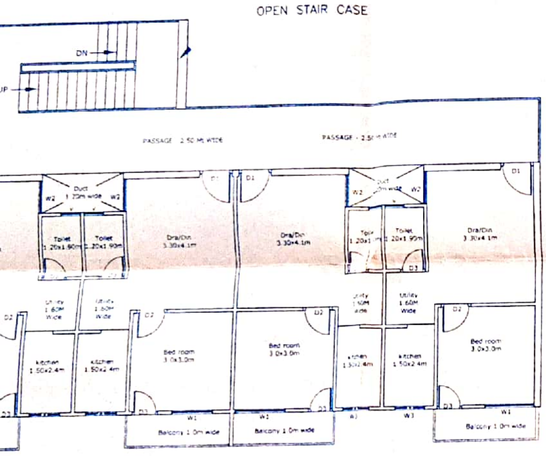

FLOOR PLAN

. SF-9 TO SF-14

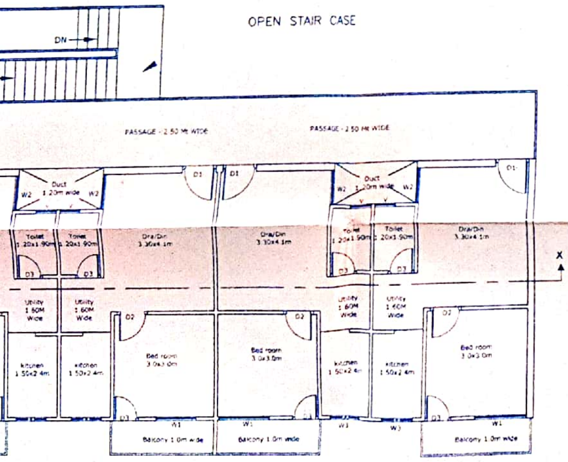

OR PLAN

TF-9 TO TF-14

Permission No.. 184/2012
Date .. 11/10/2012

अभियन्त्री
नगर पालिका परिषद् मण्डीदीप
जिला रायसेन (म.प्र.)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद मण्डीदीप
जिला रायसेन (म.प्र.)

PROPOSED CONSTRUCTION

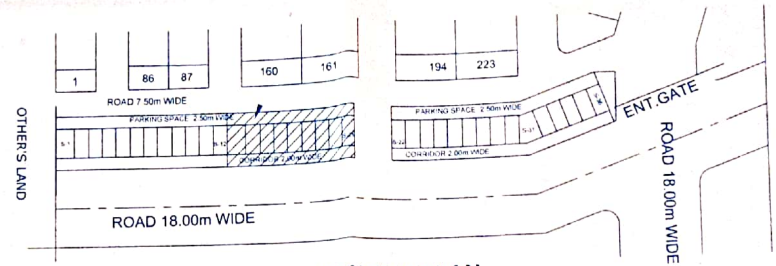

LOCATION PLAN

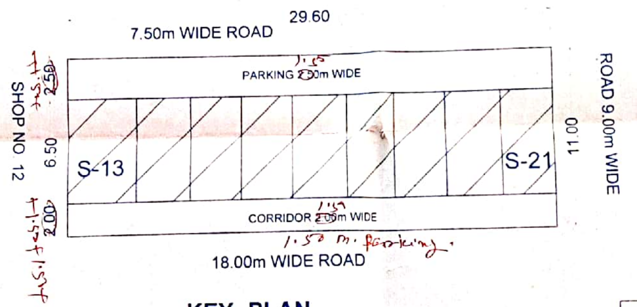

KEY -PLAN

DETAILS OF UNIT PROPOSED ON

SHOP ON GROUND FLOOR - 12 NO.
FLATS ON FIRST FLOOR - 8NO.
FLATS ON SECOND FLOOR - 8 NO.
FLATS ON THIRD FLOOR - 8 NO.
TOTAL NO. OF SHOPS - 12 NO.
TOTAL NO. OF FLATS - 24 NO.

PLAN OF PROPOSED CONSTRUCTION OF SHOP CUM RESIDENTIAL BUILDING ON PART OF CASUAL (BLOCK -B) SHOP PLOT AT SHEETAL TOWN VILLAGE MANDIDEEP, PATWARI HALKA NO.03, REVENUE INSPECTOR NO. 1, TEHSIL GOHARGANJ , DISTRICT RAISEN KH.NO. 437/1/1/1/2, 437/1/1/1/3,437/4,438/1,438/2,438/3,438/4

BELONGING TO :
SHRI PRABHAKAR CONSTRUCTION COMPANY

STATEMENT OF AREAS :

PLOT AREA	: 325.60Sq.mt
PROPOSED BUILT UP AREA ON :-	
GROUND FLOOR	: 192.40 Sqmt
FIRST FLOOR	: 180.06 Sqmt
SECOND FLOOR	: 180.06 Sqmt
THIRD FLOOR	: 180.06 Sqmt
TOTAL B/U AREA	732.58 Sqmt

NORTH

SCHEDULE FOR OPENINGS .

1.	D1	: 1.05 m x 2.10m	DOOR
2.	D2	: 0.90m x 2.10m	---"---
3.	D3	: 0.75m x 2.10m	---"---
4.	W1	: 1.50m x 1.80m	WINDOW
5.	W2	: 1.50m x1.20m	---"---
6.	W3	: 0.90 m x 1.50m	---"---
7.	V	: 0.60m x 0.90m	VENTILATOR

DRAWING DETAIL :

PLANS & ELEVATION	- 1 : 100	DRAWING NO	: CD/ST-01/07/12
KEY PLAN	- N.T.S.	DATE	: 24/07/2012
LOCATION PLAN	- N.T.S.	CHECKED BY	: SANJAY JAIN
		DRAWN BY	: PRAVEEN MALVIYA

ALL DIMENSION ARE IN METERS

OWNER 'S

SHRI PRABHAKAR CONSTRUCTION COMPANY

CONSULTANT

Sanjay Jain
AMIE, M. Tech.
T.C. Bhopal Lic. No.-SE-40
TNCP Lic. No.-SE-172

VARDHMAN ASSOCIATES
CONSULTANT ENGINEERS, ARCHITECTS,
PLANNERS & STRUCTURE DESIGNERS
R-34, ZONE-I, M.P. NAGAR, BHOPAL (M.P.)
PH. NO. 0755-2766540(O)

Scanned with CamScanner

V.A.-02/SHOP CUM RESI

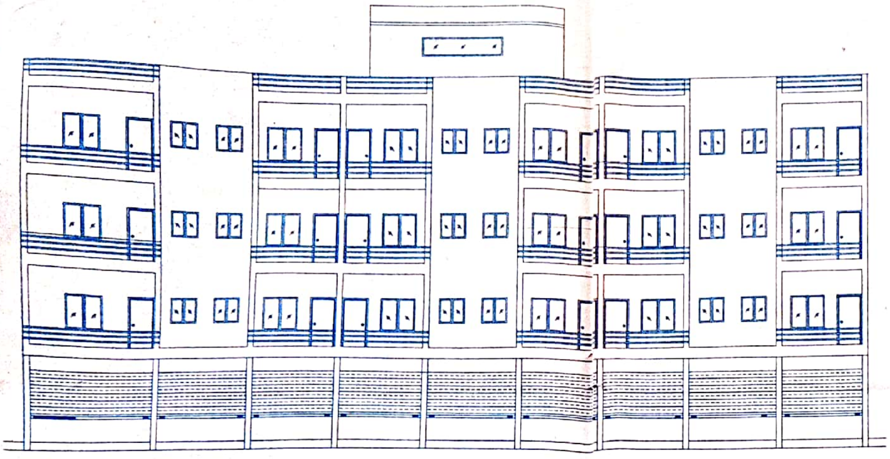

FRONT ELEVATION

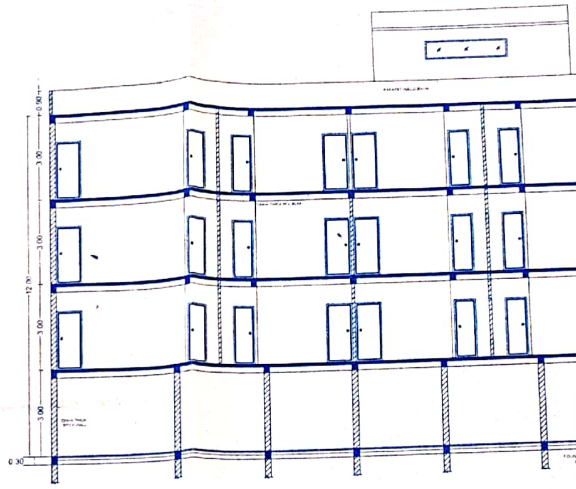

SECTION AT X-

2

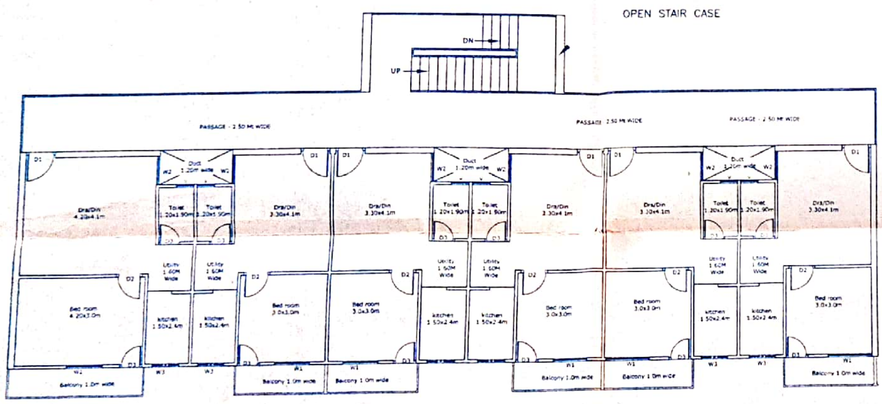

FIRST FLOOR PLAN
FOR FLAT NO. FF-9 TO FF-14

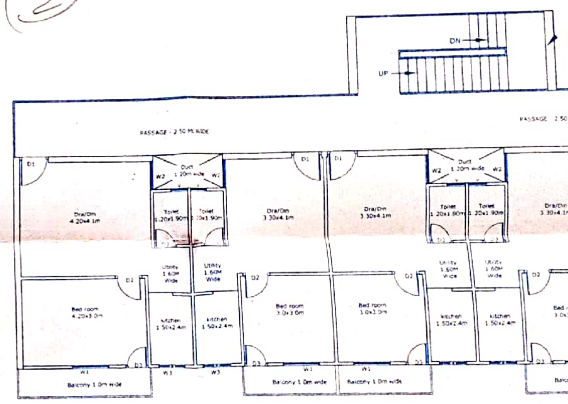

SECOND FLOOR PLAN
FOR FLAT NO. SF-9 TO SF-14

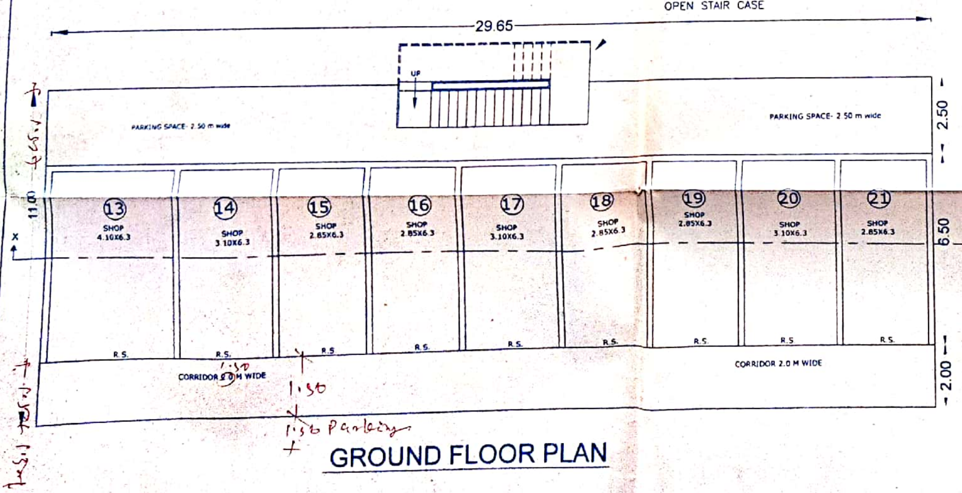

GROUND FLOOR PLAN

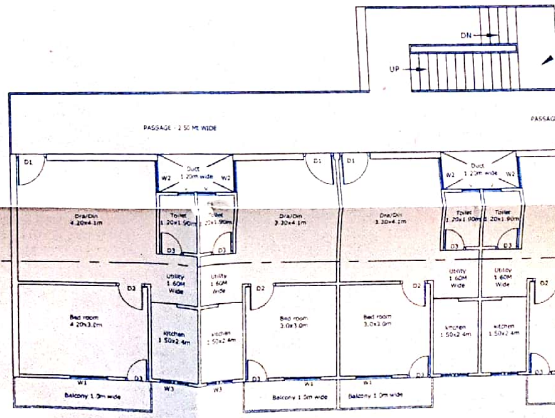

THIRD FLOOR PLAN
FOR FLAT NO. TF-9 TO TF-14

Scanned with CamScanner

V.A.-02/SHOP CUM RESI

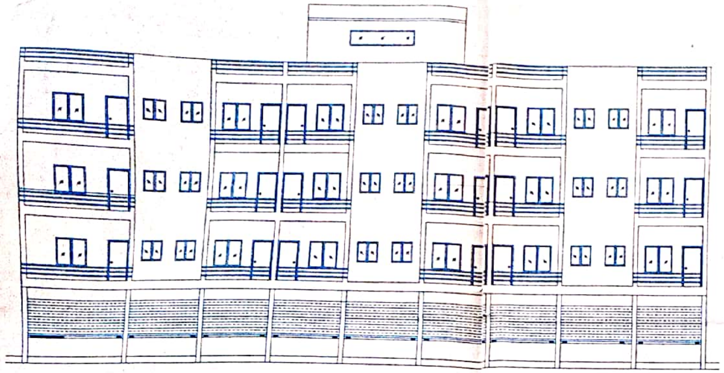

FRONT ELEVATION

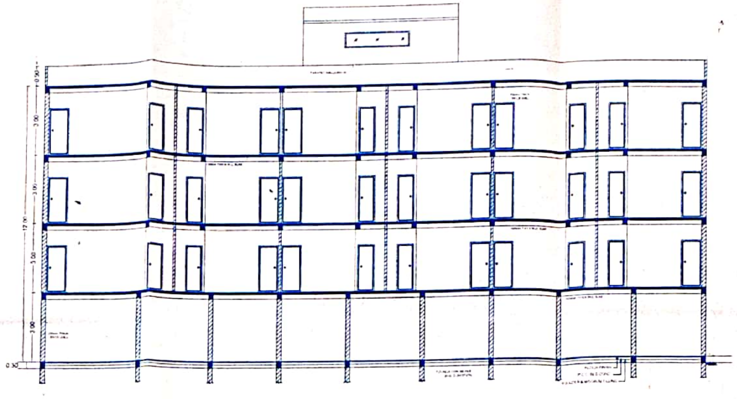

SECTION AT X-X

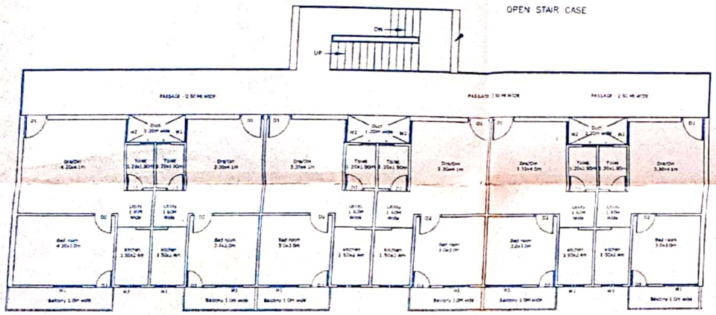

FIRST FLOOR PLAN

FOR FLAT NO. FF-9 TO FF-14

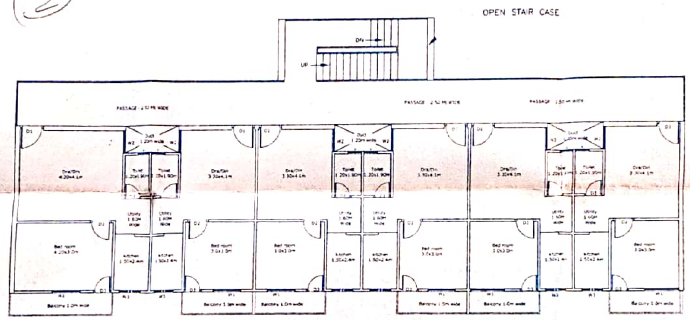

SECOND FLOOR PLAN

FOR FLAT NO. SF-9 TO SF-14

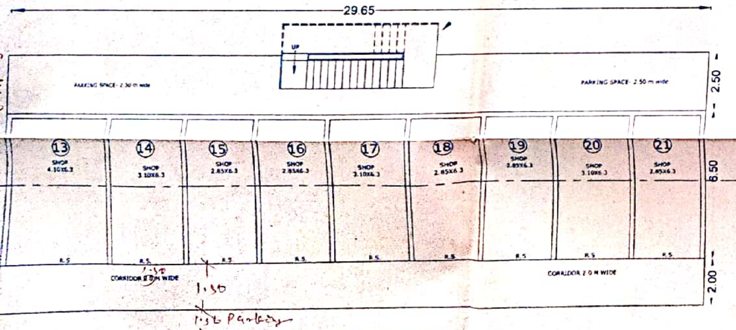

GROUND FLOOR PLAN

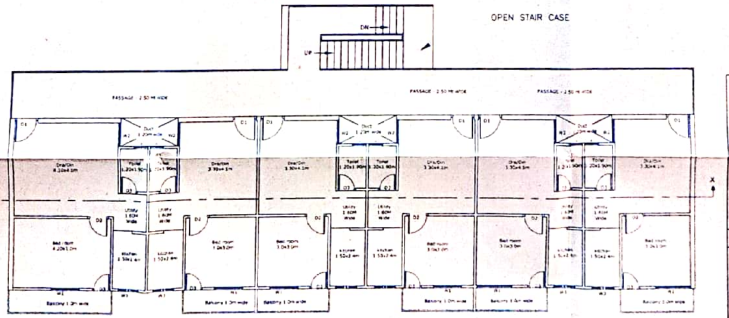

THIRD FLOOR PLAN

FOR FLAT NO. TF-9 TO TF-14

Permission No. 184/2012
Date 11/10/2012

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद मण्डीदीप
जिला रायसेन (म.प्र.)

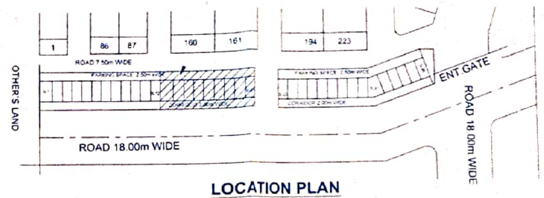

LOCATION PLAN

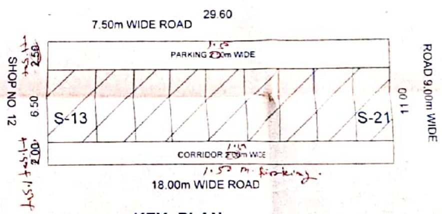

KEY -PLAN

DETAILS OF UNIT PROPOSED ON

SHOP ON GROUND FLOOR - 12 NO
FLATS ON FIRST FLOOR - 8NO
FLATS ON SECOND FLOOR - 8 NO
FLATS ON THIRD FLOOR - 8 NO
TOTAL NO. OF SHOPS - 12 NO
TOTAL NO. OF FLATS - 24 NO

PLAN OF PROPOSED CONSTRUCTION OF SHOP CUM RESIDENTIAL BUILDING ON PART OF CASUAL (BLOCK -B) SHOP PLOT AT SHEETAL TOWN VILLAGE MANDIDEEP PATWARI HALKA NO 03 REVENUE INSPECTOR NO. 1 TEHSIL GOHARGANJ DISTRICT RAISEN KH NO. 437/1/1/1/2, 437/1/1/1/3,437/4,438/1,438/2,438/3,438

BELONGING TO:
SHRI PRABHAKAR CONSTRUCTION COMPANY

STATEMENT OF AREAS		NORTH
PLOT AREA	325.60Sq mt	
PROPOSED BUILT UP AREA ON :-		
GROUND FLOOR	192.40 Sqmt	
FIRST FLOOR	180.06 Sqmt	
SECOND FLOOR	180.06 Sqmt	
THIRD FLOOR	180.06 Sqmt	
TOTAL B/U AREA	732.58 Sqmt	

SCHEDULE FOR OPENINGS

1	D1	1.05 m x 2.10m	DOOR
2	D2	0.90m x 2.10m	-----
3	D3	0.75m x 2.10m	-----
4	W1	1.50m x 1.80m	WINDOW
5	W2	1.50m x 1.20m	-----
6	W3	0.90 m x 1.50m	-----
7	V	0.60m x 0.90m	VENTILATOR

DRAWING DETAIL

PLANS & ELEVATION	: 1 : 100	DRAWING NO	CD-ST-01/07/12
KEY PLAN	: N.T.S	DATE	24/07/2012
LOCATION PLAN	: N.T.S	CHECKED BY	SANJAY JAIN
		DRAWN BY	PRAVEEN MALVIYA

ALL DIMENSION ARE IN METERS

OWNER 'S

SHRI PRABHAKAR CONSTRUCTION COMPANY

CONSULTANT

Sanjay Jain
A.M.E. M.Tech.

VARDHMAN ASSOCIATES
CONSULTANT ENGINEERS ARCHITECTS
PLANNERS & STRUCTURE DESIGNERS
B-M ZONE - I, M.P. NAGAR, BHOPAL, M.P.
PH. NO. 0755-2765542(O)

Scanned with CamScanner